

अनुदान संख्या 59 - महिला और बाल विकास विभाग
GRANT No. 59-DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	2454,19,00	2454,21,00	2449,84,22
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2,67,65

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"			
सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Secretariat- Social Services			
मू.	O.	1285.00	824.12	808.59
पु.	R.	-460.88		
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"			
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Social Security and Welfare			
मू.	O.	24454.00	17917.95	17832.69
पू.	S.	1.00		
पु.	R.	-6537.05		
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	24000.00
पु.	R.	-24000.00		..

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	193403.00		
			224159.33	224159.33
पु.	R.	30756.33		
(I) 24576.00 लाख रु. का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 24450.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-				(I) Provision of Rs.24576.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these Rs.24450.00 lakhs accounted for under the following major heads:-
(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "सामाजिक कल्याण" -				(A) Major Head "2235"- "Social Welfare"-
(क) "बाल कल्याण - राष्ट्रीय बाल आयोग" - 150.00 लाख रु. आयोग को स्थापित किए जाने संबंधी बिल संसद में प्रस्तुत न किए जाने के कारण थे।				(a) "Child Welfare-National Commission for Children"- Rs.150.00 lakhs- due to non-introduction of the bill in Parliament to set up the Commission
(ख) "महिला कल्याण - अवैध व्यापार के पीड़ितों के उद्धार के लिए स्कीम" - 300.00 लाख रु. स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।				(b) "Women's Welfare-Scheme for rescue of Victims of Trafficking"- Rs.300.00 lakhs due to non-finalisation of the scheme.
(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" - 24000.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों में उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनिर्विनियोग किए जाने के कारण थे।				(B) Major Head "2552"- "Other Expenditure-Provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.24000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation in the schemes for the benefit of North Eastern Areas and Sikkim.
(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - महिला एवं बाल विकास विभाग" के अंतर्गत 476.41 लाख रु. की बचत (1285.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग के निदेश पर अधिक प्रावधान उपलब्ध कराए जाने के कारण हुई।				(II) Under Major Head "2251"- "Secretariat-Department of Women and Child Development"- saving of Rs.476.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1285.00 lakhs) was due to providing higher provision on the direction of the Planning Commission.
(III) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-				(III) Under Major Head "2235"- "Social Welfare"-savings occurred under the following heads:-

(का) "बाल विकास" -

(क) "क्रेच/दिन में देखभाल करने वाले केन्द्र" - 2070.62 लाख रु. की बचत (4100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान व्यय वित्त समिति द्वारा क्रेचों और दिन में देखभाल करने वाले केन्द्रों के मानदंडों में संशोधन को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने, कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों की उपलब्धता और कुछ क्रेचों के बंद हो जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान" - 271.72 लाख रु. की बचत (1175.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी वित्त समिति द्वारा वर्ष के दौरान इंदौर में नए परिसर के निर्माण के लिए प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ग) "विश्व बैंक से सहायताप्राप्त आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम" - 684.61 लाख रु. की बचत (920.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना को 30.09.2004 के बाद तक बढ़ाने के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का अनुमोदन देर से प्राप्त होने तथा इसके परिणामस्वरूप बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "महिला कल्याण" -

(क) "कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के संबंध में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" - 415.71 लाख रु. की बचत (898.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र तथा उन होस्टलों, जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, के संबंध में समापन प्रमाणपत्र/अन्य दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "स्वावलम्बन" - 1531.90 लाख रु. की बचत (2250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ग) "प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम को सहायता" - 468.13 लाख रु. की बचत (2250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Child Welfare"-

(a) "Creches/Day Care Centres"- saving of Rs.2070.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4100.00 lakhs) was due to non-approval of the revision of norms of crèches and Day Care Centres during the year by Expenditure Finance Committee, non-receipt of utilisation certificate, availability of unspent balances with the implementing agencies and closure of a few crèches.

(b) "National Institute of Public Co-operation and Child Development"- saving of Rs.271.72 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1175.00 lakhs) was due to non-approval of the proposal for construction of new campus at Indore during the year by the Standing Finance Committee.

(c) "World Bank Assisted ICDS Training Programme"-saving of Rs.684.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.920.00 lakhs) was due to late approval of Cabinet Committee for Economic Affairs to extend the project beyond 30.09.2004 and consequent non-release of funds to Union Territories without legislature.

(B) "Women's Welfare"-

(a) "Assistance to Voluntary Organisations for Hostels for Working Women"- saving of Rs.415.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.898.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates and completion certificates/other documents in respect of hostels whose construction had been completed.

(b) "Swawlamban"- saving of Rs.1531.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2250.00 lakhs); and

(c) "Support to Training and Employment Programme"-saving of Rs.468.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 2250.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें उपयोग प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षित लेखे प्राप्त न होने और अपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

- (घ) "राष्ट्रीय महिला आयोग" - 260.00 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवास एवं शहरी विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए नए भवन के निर्माण में विलंब होने के कारण हुई।
- (ङ) "केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड" - 176.70 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवार परामर्श केन्द्र के संशोधन को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और असंतोषजनक कार्य निष्पादन के कारण लगभग 100 गैर-सरकारी संगठनों को निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।
- (च) "स्व-शक्ति परियोजना" - 898.00 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की वजह से उन्हें निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।
- (IV) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - महिला कल्याण - स्वयंसिद्ध" के अंतर्गत 701.83 लाख रु. की बचत (1650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाणपत्र/वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त न होने की वजह से कम निधियां जारी किए जाने के कारण हुई।
- (V) दो शीर्षों के अंतर्गत 113.06 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक तथा स्वीकृत प्रावधान का 42 प्रतिशत और 74 थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (31931.68 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2004 में 2.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध-II द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilisation certificates, audited accounts and receipt of incomplete proposals.

- (d) "National Commission for Women"- saving of Rs.260.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to delay in construction of new building for National Commission for Women by Housing and Urban Development Corporation (HUDCO).
- (e) "Central Social Welfare Board"- saving of Rs.176.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to non-approval of the revision of Family Counselling Centers Scheme by the competent authority during the year and non-release of funds to about 100 Non-Government Organisations (NGOs) due to unsatisfactory performance.
- (f) "Swa-Shakti Project"- saving of Rs.898.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-release of funds to the project implementing agencies owing to non-receipt of utilisation certificate from them.
- (IV) Under Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes-Social Welfare-Women's Welfare- Swayamsidha"- saving of Rs.701.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1650.00 lakhs) was due to release of less funds owing to non-receipt of utilisation certificates/physical reports from some of the State Governments.
- (V) Under two heads savings of Rs.113.06 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 42 percent and 74 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.31931.68 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs. 2.00 lakhs in December, 2004 and vide Annexure II to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - बाल कल्याण - एकीकृत बाल विकास सेवाएं" - 471.52 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 471.46 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" -

(क) "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - समाज कल्याण - बाल कल्याण - आईसीडीएस के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान" - 2233.97 लाख रु.।

(ख) "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(i) "समाज कल्याण - महिला कल्याण - बालिका समृद्धि योजना" - 3953.50 लाख रु.।

(ii) "समाज कल्याण - बाल कल्याण" -

(1) विश्व बैंक से सहायताप्राप्त आईसीडीएस कार्यक्रम - सामान्य संघटक - 4607.00 लाख रु.।

(2) "विश्व बैंक से सहायताप्राप्त आईसीडीएस कार्यक्रम - बाह्य सहायताप्राप्त संघटक" - 10751.11 लाख रु.।

(3) "एकीकृत बाल विकास सेवाएं" - 9914.58 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - महिला कल्याण - स्वाधार" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - 151.30 लाख रु. का अधिक व्यय (270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत 133.25 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत और 24 प्रतिशत था।

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare - Child Welfare- Integrated Child Development Services"-Rs.471.52 lakhs. Actual excess, however, was Rs.471.46 lakhs.

(B) Major Head "3601"-

(a) "Grants for Central Plan Schemes-Social Welfare-Child Welfare - Grants under Training Programme of ICDS"- Rs.2233.97 lakhs.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"-

(i) "Social Welfare - Women's Welfare-Balika Samridhi Yojana"- Rs.3953.50 lakhs.

(ii) "Social Welfare - Child Welfare"-

(1) "World Bank Assisted ICDS Programme- General Component"- Rs.4607.00 lakhs.

(2) "World Bank Assisted ICDS Programme - Externally Aided Component" - Rs.10751.11 lakhs.

(3) "Integrated Child Development Services"- Rs.9914.58 lakhs.

(II) The savings were also offset by excess under Major Head "2235" - "Social Welfare-Women's Welfare-Swadhar"- excess of Rs.151.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.270.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for implementing the schemes in the North Eastern Areas and Sikkim.

(III) Under two heads excess of Rs.133.25 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 11 percent and 24 percent of the sanctioned provision.